

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

एफ 7(10) परीक्षा / व0अ0(वि0शि0) / मा0शि0 / 2015-16 / 6673

दिनांक: 08.08.18

प्रेस विज्ञप्ति

वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) माध्यमिक शिक्षा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2015 के पदों की योग्यता के संबंध में एस0बी0सिविल रिट पिटीशन संख्या 2364/2016 रतनलाल पलसानिया व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य (कुल 24 याचिकाओं) में पारित आदेश दिनांक 22.08.2016 की पालना में शासन स्तर पर योग्यता निर्धारित की जानी थी। योग्यता निर्धारण के उपरान्त अभ्यर्थी से शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज मंगाने हेतु दिनांक 08.08.2018 को स्पीड पोस्ट द्वारा 56 अभ्यर्थियों को पत्र प्रेषित कर 07 दिवस में दस्तावेज आयोग को प्रेषित करने हेतु पत्र भेजा गया किन्तु निम्नलिखित रिट याचिकाओं के अभ्यर्थियों के नाम व पते आयोग को उपलब्ध नहीं होने के कारण पत्र प्रेषित नहीं किये गये हैं जो निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	रिट पिटीशन संख्या एस0बी0सिविल रिट पिटीशन संख्या	वादी बनाम प्रतिवादी
01	3487 / 2016	Himanshu Roy Vs. RPSC, Ajmer.
02	3488 / 2016	Sabir Mohammad Vs. RPSC, Ajmer.
03	3489 / 2016	Chetan Singh Vs. RPSC, Ajmer.
04	3490 / 2016	Phool Chand Gautam Vs. RPSC, Ajmer.
05	3493 / 2016	Pradeep Chandel Vs. RPSC, Ajmer.
06	3494 / 2016	Manoj Kumar Gautam Vs. RPSC, Ajmer.
07	3495 / 2016	Sheeba Khan Vs. RPSC, Ajmer.
08	3497 / 2016	Karunesh Gautam Vs. RPSC, Ajmer.
09	3832 / 2016	Hanuman Prasad Jat Vs. RPSC, Ajmer.

उक्त रिट याचिकाओं के अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेजों की प्रति मय प्रार्थना-पत्र जिसमें रोल नम्बर व रिट नम्बर का स्पष्ट उल्लेख हो आयोग को अविलम्ब ही डाक द्वारा या व्यक्तिशः जमा करावे जिससे न्यायिक आदेशों की पालना में पात्रता की जांच की जाकर परीक्षा परिणाम जारी करने की कार्यवाही की जा सके।

उप सचिव